

न्यायालय:-सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 55/2025

प्रकरण दर्ज तिथि :- 07.04.2025

जीसीएमएस नम्बर :- 2025/125

1. मनोहरलाल पुत्र श्री भंवरलाल, उम-वयस्क, जाति मेघवाल निवासी बुटीवास, तहसील रायपुर जिला ब्यावर वादी

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र श्री मला उम-वयस्क, जाति मेघवाल निवासी बुटीवास, तहसील रायपुर जिला ब्यावर

2. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, रायपुर, जिला ब्यावर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवाड़ा एवं रथाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपस्थित 1 श्री जरावंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी

2 प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक: 06.10.2025

वादी की ओर से वकील श्री जरावंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत बंटवाड़ा एवं रथाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 92, 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा गेरिया, पटवार हल्का बूटीवास, भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र गिरी तहसील रायपुर जिला ब्यावर (राज) की जमाबन्दी सवत् 2074-2077 के खाता सं. 396 खसरा सं. 296 रकबा 1.7401 हैक्टेयर किरम बारानी दोयम, मे वादी एवं प्रतिवादीगण की शागलाती कृषि भूमि आई हुई है। उक्त भूमि वादी की खरीद शुदा भूमि है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2075-2076 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की जा रही हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। वर्णित वादग्रस्त आराजीयात मे वादी का 149/160 वां हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। तथा सह खातेदार हेमन्त पुत्र मधुमती का हिस्सा 1/160 वादी द्वारा खरीद शुदा कर रखा इस प्रकार विवादित भूमि मे वादी का 15/16 वां हिस्सा बनता है, जो वादी ने खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/16 वां हिस्सा दर्ज रेकर्ड है।

वादी खरीद दिनांक से आज दिनांक तक मौके पर खरीद समय मे दिये कब्जे अनुसार कब्जा काश्त कर रहा है एवं मौके पर वादी का कब्जा काश्त बिना किरसी बाधा के चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी की सम्पूर्ण भूमि एक खाते मे शागलाती दर्ज है व नक्शा में भी विवादित खसरा की भूमि खसरा अनुसार एक जोत दर्शाई गयी है। मौके कब्जे व काश्त के आधार पर अलग अलग तरमीन नहीं की हुई है। विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शे मे अलग अलग तरमीन नहीं होने के कारण उसका फायदा उठाकर प्रतिवादी की वादी की भूमि पर कब्जा करने कि नियत रखते है। वादी एवं प्रतिवादी के बीच कब्जे को लेकर एवं माठ को लेकर आए-दिन झगडा-फसाद होते रहते हैं। इसलिये वादी एवं प्रतिवादी के गध्य आपसी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। वर्तमान मे समस्त वादी व प्रतिवादी का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से

2-
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

अनुसार बिना किसी रोक टोक के कब्जा चला आ रहा है। वादी के कब्जे की भूमि को प्रतिवादी से बचाने के लिए एवं उनसे बंटवाड़ा करवाने हेतु उक्त वादग्रस्त पेश किया जा रहा है। वादी ने खरीद के बाद कई मर्तोबा प्रतिवादी से निवेदन किया कि वर्मित वादग्रस्त आराजी ने वादी के हिस्से पर कब्जा नहीं करे एवं विवादित भूमि को अपने-अपने हिस्से अनुसार बंटवाड़ा करवा लें, लेकिन प्रतिवादी ने वादी के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर उक्त आराजी भूमि से वादी को बेदखल करने पर आमादा रहते है। वादी के बार-बार बंटवाड़ा करने की बात कहने पर प्रतिवादी ने बंटवाड़ा करने हेतु मना कर दिया। इसलिए वादी को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिस कारण उक्त वाद तकास्मा का पेश किया जा रहा है। वादी ने प्रतिवादी व उनके वारिष्ठानों से विवाद होने पर बार बार अपने कब्जे अनुसार बंटवाड़ा करने का निवेदन किया एवं वादी की भूमि में दखलअदाजी नहीं करने का निवेदन किया जो प्रतिवादीगण व उनके वारिष्ठानों ने बंटवाड़ा करने से मना कर दिया। वादी ने पुनः निवेदन कर प्रार्थना की कि उक्त संयुक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का बंटवाड़ा मौके पर कब्जे अनुसार तकास्मा करवाकर खाते अलग से दर्ज करवाने अपने हिस्से के खाते व हिस्से एवं कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम रखने का तकास्मा करवाने का कहां मगर प्रतिवादीगण की नियत सहीं नहीं होने से उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 30.03.2025 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है वादी अपने कब्जे अनुसार विवादित भूमि का तकास्मा करवाने की अधिकारी है इसलिए वादा बंटवाड़ा तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण पेश हैं। वाद तकास्मा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे कारत व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार कारतकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादी व उनके वारिष्ठान को वादी के हक हिस्से व कब्जे कारत खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलअदाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को अपूर्णोय क्षति होगी प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार दिवानी फौजदारी मुकदमें करने पड़ेंगे, जिससे मल्टी प्लोसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, जिससे वादी को भारी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध कब्जे के अनुसार तकास्मा कर नक्शा तरमीम करवा कर खातेदारी अलग-अलग अपने-अपने हिस्से अनुसार करवाने के लिये बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त वाद प्रस्तुत कर रही है।

डिक्री तकास्मा वादी बहक प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय से जारी कि जावे कि सरहद मौजा मेसिया, पटवार हल्का वूटीवास्त, भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र गिरी तहसील रायपुर जिला व्यावर (राज) की जमाबन्दी सवत् 2074-2077 के खाता सं. 396 खसरा सं. 296 रकवा 1.7401 हैक्टैयर किस्म वारानी दोयम, मे वादी एवं प्रतिवादीगण की शामिलती कृषि भूमि आई हुई है। उक्त भूमि वादी की खरीद शुदा भूमि है। वादग्रस्त आराजीयात मे वादी का 149/160 वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है तथा सह खातेदार हेमन्त पुत्र मधुमती का हिस्सा 1/160

2
 .यक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
 रायपुर (ब्यावर)

वादी द्वारा खरीद शुदा कर रखा इस प्रकार विवादित भूमि में वादी का 15/16 वा हिस्सा बनता है, जो वादी ने खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये हैं। एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/16 वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। उपरोक्त विवादित भूमि मौके पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटी हुई है। विवादित भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड अनुसार कब्जा काशत है। परन्तु विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व रेकर्ड में बंटी हुई नहीं होने से आये दिन विवाद कि स्थिति बनी रहती है इसलिये वादी के हिस्से अनुसार भूमि की नेखमबन्दी व पत्थर गढ्डी करवायी जावे, व मौके पर बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादी को अपने दर्ज हिस्से का अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खसरे में बटा नम्बर लगाकर राजस्व नक्शे में अलग दर्शाई जाकर वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जावे तथा लगान बांटा जावें। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादी व उनके वारिशानों को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, यार, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुखत्यार, मजूदर, मिस्त्री, हाली, असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद के पद नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में वादी के हक, हिस्से, कब्जे, अधिकार, काशत आदि में किसी तरह की कोई दखलअंदाजी नहीं करे, ना ही कोई बाधा अथवा अडचन उत्पन्न करे, और ना ही वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करे, ना ही ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काशत, आदि में कोई बाधा व/या अडचन व/या अवरोध उत्पन्न होते हो।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल सुदा प्राप्त हुऐ है जो संलग्न पत्रावली किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 01 के सम्मन तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जबावदावा का अवसर समाप्त किया गया। वादी अधिवक्ता ने उक्त वादपत्र पर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। वादी के साक्ष्य के समर्थन में बयान लिये जाकर पत्रावली संलग्न किये गये हैं। वादी ने अपने वादपत्र को साबित करने के लिए अपना मुख्य परीक्षण का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। जिसके प्रत्येक पेज पर A TO B अपने (वादी) हस्ताक्षर होना जाहिर किये। दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। उक्त जमाबंदी में वर्णित हिस्सा अनुसार बंटवाड़ा हेतु निवेदन किया। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाने से वादी की साक्ष्य अखण्डित रही।

बहस अधिवक्ता की सुनी गई। बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर लाए गए तथ्यों एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा मेसिया, पटवार हल्का बूटीवास, भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र गिरी के खाता सं. 396 खसरा सं. 296 रकबा 1.7401 हैक्टैयर किस्म बाराणी दोयम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त कृषि भूमि है। विचाराधीन प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के बावजूद सम्मन तामिल के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। जिस कारण वाद में प्रतिवादीगण की ओर से किसी भी तरह का प्रतिकार नहीं हुआ हैं। वादी की साक्ष्य भी अखण्डित रही है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर

2

महायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा उनके जमाबंदी में निहित हक हिस्से व मौके पर कब्जा को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

माफिक राजस्व रेकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा मेसिया, पटवार हल्का बूटीवास, भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र गिरी के खाता सं. 396 खसरा सं. 296 रकबा 1.7401 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, की कृषि भूमि का राजस्व रेकॉर्ड बंटवाड़ा माफिक रेकॉर्ड, मौके पर कब्जा काशत अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। प्राथमिक डिक्री के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर पेश करें। पक्षकारान् के मध्य लगान एवं खाते अलग अलग करने हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर सा.मि. किया जावे। तहसीलदार रायपुर स्वयं मौका निरीक्षण कर बंटवाड़ा रिपोर्ट पेश करें। इस निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, रायपुर को पालना करने हेतु प्रेषित की जावे।

(सुमित्रा बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमित्रा बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्दाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" -1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर
बईजलास :- श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या 55 / 2025

1. मनोहरलाल पुत्र श्री भंवरलाल, उम्र-वयस्क, जाति मेघवाल निवासी बुटीवास,
तहसील रायपुर जिला ब्यावर वादी

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र श्री मला उम्र-वयस्क, जाति मेघवाल निवासी बुटीवास, तहसील रायपुर जिला ब्यावर
2. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, रायपुर, जिला ब्यावर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 92, 188 राज. टि.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरुबरु हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया माफिक राजस्व रेकर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा मेसिया, पटवार हल्का बूटीवास, भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र गिरी के खाता सं. 396 खसरा सं. 296 रकबा 1.7401 हैक्टैयर किस्म बाराणी दोयम, की कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड बन्टवाड़ा माफिक रेकर्ड, मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। प्राथमिक डिक्री के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर पेश करें।

नीज.....मुबलिक.....बाबत्..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तकको अदा करें।

बसिब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.10.2025 को जारी किया गया।

(सुमित्रा बिश्नोई)

सहायक कलक्टर एवं

पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

मुदई	रूपया	पै.	मुदयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	06	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प हाजरी		
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	4	00	मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान	00	00
मीजान	12	00			

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।